संख्या:–586/XXVII (1)/2013

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:: दिनांक: 14 :अगस्त,2013

विषय:– 13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 की द्वितीय किश्त हेतु क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को विगत वित्तीय वर्ष 2012–13 की द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि **₹78363000.00 (₹सात करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र)** को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3–13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यकम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4–क्षेत्र पंचायतें केवल अन्तरग्रामीण (Inter Village) की योजनाऐं ही चयनित करेंगें।

5–कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

सहायक निदेशक

6–जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

7–अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

संयुक्त निदेशक 22.8

AAO 23/8/13

209 24/8/13

8–संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 अक्टूबर,2013 तक उपलब्ध करायेंगे।

9–संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

10–संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

11–संकमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वॉं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 586/ **XXVII (1)**/2013, तद्‌दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।

2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।

3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी 23 लक्ष्मी रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।

5–निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।

6–निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।

7–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

8–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।

9–वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

10–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्याः 586 /XXVII (1) / 2013
दिनांकः 14 :अगस्त,2013 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में क्षेत्र पंचायतों हेतु 13वें वित्त आयोग से प्राप्त द्वितीय किश्त की धनराशि का विवरण।

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4
1– अल्मोडा	1	भैसियाछाना	421
	2	भिक्यासैण	590
	3	चौखुटिया	668
	4	धौलादेवी	823
	5	द्वाराहाट	790
	6	हवलबाग	840
	7	लमगड़ा	667
	8	सल्ट	842
	9	स्याल्दे	680
	10	ताकुला	616
	11	ताडीखेत	873
		योगः–	**7810**
2– बागेश्वर	1	बागेश्वर	1151
	2	गरूड़	764
	3	कपकोट	1032
		योगः–	**2947**
3– चमोली	1	दशोली	735
	2	देवाल	514
	3	गैरसैण	811
	4	घाट	530
	5	जोशीमठ	1551
	6	कर्णप्रयाग	636
	7	नारायणबगड़	526
	8	पोखरी	639
	9	थराली	529
		योगः–	**6471**
4– चम्पावत	1	बाराकोट	421
	2	चम्पावत	990
	3	लोहाघाट	577
	4	पाटी	644
		योगः–	**2632**

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
5– देहरादून	1	चकराता	732
	2	डोईवाला	1400
	3	कालसी	694
	4	रायपुर	961
	5	सहसपुर	1225
	6	विकासनगर	1212
		योगः–	**6224**
6– हरिद्वार	1	बहादराबाद	2215
	2	भगवानपुर	1674
	3	खानपुर	509
	4	लक्सर	1334
	5	नारसन	1613
	6	रूड़की	1914
		योगः–	**9259**
7– नैनीताल	1	बेतालघाट	554
	2	भीमताल	594
	3	धारी	397
	4	हल्द्वानी	1110
	5	कोटाबाग	520
	6	ओखलकाण्डा	592
	7	रामगढ़	515
	8	रामनगर	774
		योगः–	**5056**
8– पौड़ी	1	बीरोंखाल	691
	2	दुगड्डा	997
	3	द्वारीखाल	786
	4	एकेश्वर	529
	5	कल्जीखाल	566
	6	खिर्सू	412
	7	कोट	476
	8	लैंसडाउन	553
	9	नैनीडांडा	597
	10	पाबो	635
	11	पौडी	480
	12	पोखड़ा	435
	13	रिखडीखाल	578

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4
	14	थलीसैण	835
	15	यमकेश्वर	736
		योगः—	**9306**
9— पिथौरागढ	1	बेरीनाग	670
	2	धारचूला	1540
	3	डीडीहाट	537
	4	गंगोलीहाट	897
	5	कनालीछीना	679
	6	मुनाकोट	621
	7	मुनस्यारी	1433
	8	पिथौरागढ़	706
		योगः—	**7083**
10— रूद्रप्रयाग	1	अगस्तमुनि	1276
	2	जखोली	742
	3	ऊखीमठ	824
		योगः—	**2842**
11— टिहरी	1	भीलंगना	1544
	2	चम्बा	801
	3	देवप्रयाग	784
	4	जाखणीधार	683
	5	जौनपुर	904
	6	कीर्तिनगर	615
	7	नरेन्द्रनगर	792
	8	प्रतापनगर	747
	9	थौलधार	679
		योगः—	**7549**
12— उधमसिंह नगर	1	बाजपुर	1048
	2	गदरपुर	1051
	3	जसपुर	1005
	4	काशीपुर	575
	5	खटीमा	1542
	6	रूद्रपुर	1120
	7	सितारगंज	1422
		योगः—	**7763**
13— उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	687
	2	चिन्यालीसौड	584

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4
	3	डुण्डा	689
	4	मोरी	243
	5	नौगांव	824
	6	पुरोला	394
		योगः–	3421
		महायोगः–	78363

(₹सात करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।